



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

jdajodhpur.rajabsthan.gov.in वेब साइट http://email:jdajodhpur@rajabsthan.gov.in phone no- 0291 2612086,0261 2656355 पिन 0291 261837

क्रमांक-

676

:: ई.ओ.आई सूचना संख्या: जोन- मुख्यालय.- 07/2022-23 ::

दिनांक- 21/6/2022

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निम्न कार्य से संबंधित संस्थान/फर्मो/व्यक्ति/विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन ई.ओ.आई. आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

| क्र. सं. | विवरण | आईटम संख्या | दिनांक व समय |
|----------|--|-------------|---|
| 1- | ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय | 01 | दिनांक 22.06.2022 व समय 11.30 A.M. |
| 2- | ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय | 01 | दिनांक 11.07.2022 व समय 6.00 P.M. |
| 3- | ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय | 01 | दिनांक 22.06.2022 व समय 11.30 A.M. |
| 4- | ऑनलाईन ई.ओ.आई फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय | 01 | दिनांक 11.07.2022 व समय 6.00 P.M. |
| 5- | ऑन लाईन SSO ID के माध्यम से sso.rajabsthan.gov.in पर urban service में Payment gateway for E-Tendering से ई.ओ.आई शुल्क, धरोहर राशि, ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय | 01 | दिनांक 11.07.2022 व समय 6.00 P.M. |
| 6- | Pre- Discussion Meeting Date and time | 01 | दिनांक 29.06.2022 व समय 3.00 P.M. |
| 7- | ऑनलाईन तकनीकी ई.ओ.आई खोलने की दिनांक व समय | 01 | दिनांक 12.07.2022 व समय 11.15 A.M. |
| 8- | प्राधिकरण के समक्ष तकनीकी प्रस्तुतिकरण की दिनांक | 01 | दिनांक 18.07.2022 व समय 3.00 P.M. |
| 9- | ऑनलाईन वित्तीय ई.ओ.आई खोलने की दिनांक व समय | 01 | सफल बोलीदाता को अलग से समय एवं दिनांक सूचित कर दी जायेगी। |

ई.ओ.आई. का विवरण-

| क्र.सं. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाखों में) | धरोहर राशि | ई.ओ.आई. शुल्क (राशि रुपये लाखों में) | M.D, RISL, JAIPUR (राशि रुपये लाखों में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---------|--|---------------------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Architectural and Engineering Consultancy work for development of Rajasthan cultural complex at ummaid udhyan. | 30.00 | 60000/- | रुपये 1000.00 | रुपये 1000.00 | 02 माह |


निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- ई.ओ.आई. प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajabsthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन ई.ओ.आई. में भाग लेने वाले कन्सलटेन्ट को ई.ओ.आई. को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajabsthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- ई.ओ.आई. की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- ई.ओ.आई. खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष ई.ओ.आई. खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- ई.ओ.आई. द्वारा निम्नलिखित राशि जरिये SSO ID से ऑनलाईन ई.ओ.आई. शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

| क्र.सं. | शुल्क वितरण | शुल्क | भुगतान का प्रकार | देय |
|---------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. | निविदा शुल्क | उपरोक्तानुसार | ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से sso.rajabsthan.gov.in पर urban service में Payment gateway for E-Tendering से | सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 2. | धरोहर राशि | 2 प्रतिशत या जेडीए पंजीकृत संवेदक हेतु 0.50 प्रतिशत व अन्य संवेदको पर राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगी। | | सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर |
| 3. | ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क | - | | M.D, RISL, JAIPUR |

- प्रदत्त दरें ई.ओ.आई. खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक ई.ओ.आई. स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी।
- यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि कन्सलटेन्ट अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा कन्सलटेन्ट के यहाँ से सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- संवेदक को ई.ओ.आई. भरते समय साथ में GST Registration की प्रति Scan कर लगाना अनिवार्य है।

9. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु की राशि ऑनलाईन SSO ID के माध्यम के रूप में देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्टर, RISL के पक्ष में भुगतान होगी।
10. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
11. संवेदक को ऑन लाईन ई.ओ.आई. के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियों से जारी GST Registration प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ई.ओ.आई पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. ई-टेंडरिंग के लिए कन्सलटेन्ट हेतु निर्देश:-
 - इन ई.ओ.आई. में भाग लेने वाले इच्छुक निविदा दाता ई.ओ.आई. प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/ डाउनलोड कर सकते हैं।
 - ई.ओ.आई. में भाग लेने वाले कन्सलटेन्ट को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन ई.ओ.आई. में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। कन्सलटेन्ट उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन कन्सलटेन्ट के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - कन्सलटेन्ट को ई.ओ.आई. प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक ई.ओ.आई. प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व कन्सलटेन्ट यह सुनिश्चित कर लेवे की ई.ओ.आई. प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
 - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - ई.ओ.आई. के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
13. स्वीकृति पत्र (LOA) जारी होने के बाद दस दिवस के भीतर अनुबंध (निर्धारित नोन ज्युडिसियल स्टाम्प पर) तथा नियमानुसार अमानत राशि जमा करवानी अनिवार्य है।
14. सलंगन परिशिष्ट ए से डी की पूर्ति करके संवेदक को प्रत्येक पृष्ठ पर लिखित में स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदादाता को किसी भी सरकारी विभाग से डिबार (वर्ज्य सूची) Blacklist नहीं किया हुआ हो का 100/- के स्टॉम्प में स्व घोषणा पत्र सलंगन करना अनिवार्य होगा एवं दस्तावेज सलंगन नहीं करने पर निविदादाता की बिड नहीं खोली जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज के सही अर्थात कूटरचित दस्तावेज नहीं होने का शपथ-पत्र रु. 1000/-के स्टॉम्प में स्व घोषणा पत्र सलंगन करना अनिवार्य होगा एवं दस्तावेज सलंगन नहीं करने पर निविदादाता की बिड नहीं खोली जायेगी।


अधिशायी अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षक अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.नि.लि./जन.स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिशायी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/दक्षिण /उत्तर / पी.एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
10. कैशियर/नोटिस. बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.iodhpurida.org एवं www.sppp.raj.nic.in ध वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी शेड्यूल अपलोड होने के पश्चात टेण्डर आई.डी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे। सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
13. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्स्ट्रक्टर एसोसियेशन / ठेकेदार संघ सिविल जे.डी.ए./पी.डब्ल्यू.डी ठेकेदार संघ/.....।

अधिशायी अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर